

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 502 /11-सी-FP/UP/Road/30569/2017, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 04, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-07 (वाराणसी-हनुगना सेक्शन) किमी0 संख्या 49.500 से किमी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8वी/यू0पी0/06/66/2018/एफ0सी0/327, दिनांक 07.08.2018, एवं पत्रांक-8वी/यू0पी0/06/66/2018/एफ0सी0/220, दिनांक 21.08.2018 तथा आपका पत्रांक-877/मी0क्षे0/33, दिनांक 01.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में आपत्तियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.08.2018 के बिन्दु सं0-02 के निराकरण के क्रम में परियोजना में कुल प्रत्यारोपण किये जाने वाले वृक्षों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नहीं किया गया है।
2. भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.08.2018 के बिन्दु सं0-03 एवं 04 के निराकरण के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित अतिरिक्त 90 हे0 स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है तथा उसकी त्रुटिरहित सभी kml file ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड भी नहीं किया गया है।
3. भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.08.2018 के बिन्दु सं0-05 के निराकरण के क्रम में NHAI द्वारा NBRI, Lucknow को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका निराकरण अपेक्षित है। अतः इस बिन्दु का निराकरण भारत सरकार के निर्देशानुसार करते हुये सम्बन्धित अभिलेखों को संलग्न करें।
4. भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.08.2018 के बिन्दु सं0-A & B के निराकरण के क्रम में गैर वनभूमि में अवस्थित वृक्षों को पृथक करते हुये, प्रस्तावित वनभूमि में प्रभावित सभी वृक्षों/पौधों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित संशोधित सूची संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
5. भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.08.2018 के बिन्दु सं0-C के निराकरण के क्रम में उपरोक्त बिन्दु सं0-1 के अनुसार परियोजना में कुल प्रत्यारोपण किये जाने वाले वृक्षों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संस्तुति सहित संलग्न करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण एवं सम्बन्धित अभिलेखों की 03 प्रतियाँ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 502 /11-सी-FP/UP/Road/30569/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
2. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

FDS

पत्रांक 1004 /सी/33 दिनांक सितम्बर 7 2018

प्रतिलिपि 500 को मीरजापुर का नोडल अधिकारी
आम्रेश्वर कुमार गौरी एड. प्रेषित।